

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक:एफ 9-2/2010/नियम/चार
प्रति,

भोपाल,दिनांक 8 नवम्बर,2012

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संचागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारी/सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पेंशन के सारांशीकरण का लाभ ।

—•••—

राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996 के नियम 8 के अंतर्गत मूल्य सारणी के अनुसार पेंशन का सारांशीकरण का भुगतान किया जाता है । राज्य वेतन आयोग ने छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के पेंशनरों को पेंशन कम्यूटेशन मूल्य 8 प्रतिशत ब्याज पर आधारित अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा पेंशन सारांशीकरण की दर निम्नांकित तालिका अनुसार पुनरीक्षित की जाती है :-

**COMMUTATION VALUE FOR A PENSION
OF Re. 1 PER ANNUM**

S.no.	Employees age on next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	S.no.	Employees age on next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.	39	9.103	17	55	8.627
2.	40	9.090	18	56	8.572
3.	41	9.075	19	57	8.512
4.	42	9.059	20	58	8.446
5.	43	9.040	21	59	8.371
6.	44	9.019	22	60	8.287
7.	45	8.996	23	61	8.194
8.	46	8.971	24	62	8.093
9.	47	8.943	25	63	7.982
10.	48	8.913	26	64	7.862
11.	49	8.881	27	65	7.731
12.	50	8.846	28	66	7.591
13.	51	8.808	29	67	7.431
14.	52	8.768	30	68	7.262
15.	53	8.724	31	69	7.083
16.	54	8.678	32	70	6.897

✓

PTO

यह आदेश दिनांक 1-8-2012 से प्रभावशील होंगे । नियमों में यथास्थान संशोधन के आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(मनीष रस्तोगी)

सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-2/2010/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर, 2012

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(डी.के. सक्सैना)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग